

सं0सं0-5 बजट (1) 20/2022 51550/900

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुसकर शिद्दीख पी0, भा0प्र0रो0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय-

राँची/दिनांक 10-02-25

राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" के तहत जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में द्वितीय चरण में कुल मो0 444.9255 लाख (चार करोड़ चौवालीस लाख बेशानवे हजार पाँच सौ पचास) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 385.3169 लाख (तीन करोड़ पचासी लाख एकतीस हजार छः सौ नब्बे) रुपये मात्र के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" के तहत जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में द्वितीय चरण में कुल मो0 444.9255 लाख (चार करोड़ चौवालीस लाख बेशानवे हजार पाँच सौ पचास) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 385.3169 लाख (तीन करोड़ पचासी लाख एकतीस हजार छः सौ नब्बे) रुपये मात्र के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है- (रु0 में)

क्रम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राप्तकलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला / स्थापना
लेंधु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	परिसर के Duck Pond का जीर्णोद्धार कार्य	18,26,700 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संख्या-01, राँची द्वारा दिनांक 15.07.2024 को।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
2	Renovation of old building of Research wing campus, Shalimar	70,48,500 / -*	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 15.02.2024 को।	
3	जिला मत्स्य कार्यालय, करनडीह में E/R of Hatchery Building, Aquarium Building & Cemented Hatchery Tank	15,07,100 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 31.08.2024 को।	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

4	जिला मत्स्य कार्यालय, करनडीह में Rising Height of Boundary Wall	13,22,400 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 31.08.2024 को।	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
5	जिला मत्स्य कार्यालय, करनडीह में नर्सरी तालाब का जीर्णोद्धार कार्य	5,24,400 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 31.08.2024 को।	
6	जिला मत्स्य कार्यालय, करनडीह में मत्स्य तालाब का जीर्णोद्धार कार्य	4,78,100 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 31.08.2024 को।	
7	जिला मत्स्य कार्यालय की मरम्मत आदि कार्य (E/R to Fish Department Office)	14,96,900 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 09.02.2024 को।	दुमका
8	E/R to Ground Floor of Administrative Building at Fish Department Office	7,57,500 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 21.08.2024 को।	
9	Renovation of Rearing Pond at Pokhara Chowk in front of Old Fishery Office	4,25,300 / -	कार्यपालक अभियंता, प्राणी विभाग, विशेष प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 11.06.2024 को।	
10	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, सहाना में विभागीय हैचरी का मरम्मत कार्य	7,68,500 / -	कार्यपालक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0, जामताड़ा द्वारा दिनांक 14.08.2024 को।	जामताड़ा
कुल योग:		1,61,55,400 / -		

(ख) निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है-

क्रम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला / रथापना
(क)	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय गछली-पालन			
1	नूरा मत्स्य प्रक्षेत्र के नर्सरी तालाब पर फेंसिंग जाली का कार्य	10,44,100 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 12.02.2024 को।	हजारीबाग
2	नूरा मत्स्य प्रक्षेत्र में चाहरदीवारी निर्माण कार्य	38,61,500 / -	अधीक्षक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 17.02.2024 को।	
3	नूरा मत्स्य प्रक्षेत्र में Construction of Hall Garage, Toilet & Renovation of Min Bhawan and old Building Demolition कार्य	33,88,900 / -	अधीक्षक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 17.02.2024 को।	
4	ईचाक प्रखण्ड में निर्माणाधीन फिश फीड मिल का निर्माण कार्य	29,22,800 / -**	अधीक्षक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 02.12.2024 को।	
5	गरगा मत्स्य प्रक्षेत्र में Approach Road and Campus Electrification कार्य	53,99,800 / -	अधीक्षक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 29.08.2024 को।	बोकारो
योग:		1,66,17,100 / -		

लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(ख)				
7	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में दो पंगेशियस हैचरी का निर्माण	4,91,050 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, रांछी-01, रांछी द्वारा दिनांक 15.07.2024 को।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रांछी
8	तिरिग मत्स्य प्रक्षेत्र में RCC Pillar निर्माण के साथ-साथ Barbed wire fencing कार्य	24,02,100 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 03.08.2024 को।	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
9	तिरिग मत्स्य प्रक्षेत्र में गार्ड रुम का निर्माण कार्य	14,65,600 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 31.08.2024 को।	
10	जिला मत्स्य कार्यालय, करनडीह में PCC Road का निर्माण एवं जलापूर्ति कार्य	9,29,900 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 31.08.2024 को।	
11	Construction of Boulder Pitching on sloping side of Rearing Pond at Pokhara Chowk in front of Old Fishery Office	5,63,400 / -	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 11.06.2024 को।	दुमका
12	Construction of Boundary Wall at Pokhara Chowk in front of Old Fishery Office	9,25,500 / -	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 11.06.2024 को।	
13	Construction of First Floor Shed Work in Administrative Building at District Fisheries Office	24,51,700 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 21.08.2024 को।	
14	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, साहना के अंतर्गत चारदिवारी निर्माण कार्य (Part-1)	24,90,800 / -	कार्यपालक अभियंता, एन0 आर0 ई0 पी0, जामताड़ा द्वारा दिनांक 12.06.2024 को।	जामताड़ा
योग:		1,17,20,050 / -		
उप योग:		2,83,37,150 / -		
कुल योग (क) + (ख):		4,44,92,550 / -		

नोट - चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में समुचित बजट उपबंध नहीं रहने के कारण -

* मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रांछी Renovation of old building of Research wing campus, Shalimar के कार्य हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 70,48,500/- रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीर्णोद्धार कार्य गद में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 10,87,640/- रु0 मात्र तथा शेष मो0 59,60,860/- रु0 मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसी गद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

** वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं0 17 दिनांक 03.08.2015 द्वारा हजारीबाग जिला में फिश फीड फैक्ट्री की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अंधूरे निर्माण कार्य के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांछी में संवेदक द्वारा दायर वाद सं0- WP(C) 3643/2021 में पारित न्यायादेश के आलोक में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आदेश सं0 93 दिनांक 12.01.2024 निर्गत है। उक्त आदेश एवं सत्यापित गापी पुस्तिका में कार्य की मूल्यांकित राशि मो0 6,68,631/- रु0 मात्र पर 12% GST तथा 1% Labour Cess मिलाकर मो0 7,56,355.39/- रु0 (सात लाख छप्पन हजार तीन सौ पचपन रुपये उनवालीस पैसे) के भुगतान की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं0 59 रा0 (वि0) दिनांक 15.03.2024 द्वारा प्रदान की गई है। फिश फीड मिल के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 29,22,800/- रु0 मात्र के विरुद्ध प्राप्त प्रस्ताव के आलाक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना अंतर्गत विभागीय राज्यादेश सं0 04 रा0 (वि0) दिनांक 30.05.2024 द्वारा मो0 5955.17155 लाख (उनसठ करोड़ पचपन लाख सत्तर हजार एक सौ पचपन) रु0 एवं विभागीय राज्यादेश सं0 38 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024 द्वारा मो0 170.449 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रु0 मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा -

(क) गौंग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-गछली पालन-06-तालान तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क्र०	लघु शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	राज्यादेश सं० 04 रा० (वि०) दिनांक 30.05.2024 द्वारा स्वीकृत राशि	राज्यादेश सं० 38 रा० (वि०) दिनांक 14.10.2024 द्वारा स्वीकृत राशि	द्वितीय अनुपूर्वक में प्रत्यार्पित राशि	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	अवशेष राशि
(क)	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय गछली-पालन						
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण 53S24050010106010317	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010106010323	2358.00	2357.97845	0.00	0.00	0.00	0.02155
3	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यवसायिक सेवाएँ 53S24050010106010329	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
4	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-37-विद्युत व्यय 53S24050010106010337	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 53S24050010106010543	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S24050010106010544	225.70	115.98250	0.00	80.00	0.00	29.7175
7	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53S24050010106010759	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग:	2680.70	2555.96095	0.00	80.00	0.00	44.73905
(ख)	लघु शीर्ष-789-अनुरूपित जातियों के लिये विशेष घटक योजना						
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078906010323	711.00	710.99025	0.00	0.00	0.00	0.00975
2	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S24050078906010544	16.60	16.42500	0.00	0.00	0.00	0.17500
	उप योग:	727.60	727.41525	0.00	0.00	0.00	0.18475
(ग)	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग						
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17- कार्यालय उपकरण 53S24050079606010317	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	विस्तृत शीर्ष-03-प्रसारणिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079606010323	2508.00	2507.98785	0.00	0.00	0.00	0.01215
3	विस्तृत शीर्ष-03-प्रसारणिक व्यय-29-व्यवसायिक सेवाएँ 53S24050079606010329	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
4	विस्तृत शीर्ष-03-प्रसारणिक व्यय-37-विस्तृत व्यय 53S24050079606010337	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियों/ ईंधन-40-नई मोटरगाड़ी का कय 53S24050079606010440	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
6	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण- 43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुराज्जीकरण (सामग्री) 53S24050079606010543	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण- 44-जीर्णोद्धार 53S24050079606010544	265.70	75.8075	87.9471	0.00	101.9454	0.00
8	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53S24050079606010759	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप योग:		2901.70	2671.79535	87.94710	0.00	101.9454	40.01215
कुल उप योग:		6310.00	5955.17155	87.94710	80.00	101.9454	84.93595

(ख) गौंग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-गछली पालन
पर पूँजीगत परिचय 72-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क्र०	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृत राशि	राज्यादेश सं० 38 रा० (पि०) दिनांक 14.10.2024 द्वारा स्वीकृत राशि	द्वितीय अनुपूरक में प्रत्यार्पित राशि	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	शेष बजट उपबंध
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय गछली पालन- विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य 53S44050010172010545	710.00	0.00	30.9779	510.00	166.1710	2.8511
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग- विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य 53S44050079672010545	310.00	0.00	51.5240	140.00	117.2005	1.2755
उप योग :		1020.00	0.00	82.5019	650.00	283.3715	4.1266
कुल योग (क) + (ख) :		7330.00	5955.17155	170.449	730.00	385.3169	89.06255

कुल मो० 385.3169 लाख (तीन करोड़ पचासी लाख एकतीस हजार छः सौ नब्बे) रुपये मात्र ।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

6. (क) इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-साह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जगशेदपुर/हजारीबाग/बोकारो/दुमका एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किरान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे। कड़िका 2 में अंकित जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

7. जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं जीर्णोद्धार/निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरान्त ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. स्वीकृत सभी योजनाओं को इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप कराने के साथ-साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा निर्माण कार्यों का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।

10. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्राक्कानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी०एस०-01/आर०-04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-2405 एवं मुख्य शीर्ष-4405 गिलाकर कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो० मो० 4650.00 लाख रु० मात्र में से मो० 4139.09 लाख रु० मात्र का व्यय प्रतिवेदित है।

मं० दे० राशि

107

16. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाइट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अनुवक्ता शिदुख पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 51/100/रॉची, दिनांक 10.02.25

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 51/100/रॉची, दिनांक 10.02.25

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, रॉची/संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (वजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

3/10/25